न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

प्रकरण संख्या 410/18

राज सरकार बनाम श्री: राकेश पुत्र लक्ष्मण
देवप्रकाश पु. शिवलनसिंह
जाति जाट

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 12/3/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री राकेश पुत्र लक्ष्मण देवप्रकाश पुत्र श्री शिवलनसिंह जाति जाट निवासी शीशवाड़ा तहसील महवा ने संवत 2075 फसल रवि / ~~खरीफ~~ मे ग्राम शीशवाड़ा की राजकीय आराजी खसरा नं. 499 कुल रकबा 0.31 किस्म गैर-1 भूमि से 0.03 रकबा पर अनाधिकृत रूप से पक्का कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अत अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.33 का 50 गुना 17/- राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

रजिस्टर ग/घ के पेज नं0 120 पर
वर्ष 2017-18 में ... नीलामी
की राशि ... 17 रू0 ...
की जमा कायमी की गई है
दिनांक 15/3/18 (हस्ताक्षर) तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)
महवा जिला दौसा